

प्रशासनिक आदेश सं०-228 /2026 दिनांक- जुलाई, 18, 2026

सेन्ट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ द्वारा पत्र दिनांकित 16.07.2026 के माध्यम से यह तथ्य में संज्ञान में लाया गया है कि न्यायालयों/कार्यालयों द्वारा अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल वकालतनामों पर बार एसोसिएशन द्वारा जारी अधिवक्ता कल्याणकारी कूपन रुपये 100/- अनिवार्य रूप से लगाये जाने के संबंध में पूर्व पारित प्रशासनिक आदेश सं०-344/2025 दिनांकित-04.11.2025 का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः जनपद न्यायालय, लखनऊ के समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल वकालतनामों पर बार एसोसिएशन द्वारा जारी अधिवक्ता कल्याणकारी कूपन चस्पा होने पर ही वकालतनामा स्वीकृत करें।

नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर) को निर्देशित किया जाता है कि कम्प्यूटर अनुभाग में कार्यरत संबंधित कर्मचारीगण को आदेशित करें कि नये संस्थित वादों की पत्रावलियों में संलग्न वकालतनामों पर अधिवक्ता कल्याणकारी कूपन चस्पा न पाये जाने पर दर्ज (Filing) न किये जाए।

इस आदेश की एक-एक प्रति सेन्ट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ एवं लखनऊ बार एसोसिएशन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

इस आदेश की प्रति समस्त न्यायालयों में अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए तथा नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाए। साथ ही जनपद न्यायालय, लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड की जाए।

इस आदेश व इस संबंध में पूर्व पारित प्रशासनिक आदेशों का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

सभी संबंधित सूचित हों।

जनपद न्यायाधीश,  
लखनऊ।  
18.07.2026